संख्या : 3408/आठ–1–11–20 विविध/11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
7. समस्त नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त स्थानीय निकाय, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2011

विषय : **सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया), मालिकाना हक योजना की पात्रता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विषयक।**

महोदय,

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीब बस्तियों के अन्तर्गत अनियोजित, अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से बसे हुए गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले गरीब परिवारों/व्यक्तियों को उनके आवासों का मालिकाना हक दिलाये जाने हेतु शासनादेश सं0 : 172/आठ–3–2009–65 विविध/2009 दिनांक 15.01.09 द्वारा 'सर्वजन हिताय गरीब आवास' (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना लागू की गयी थी। इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये हैं।मूल शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2009 में आवेदन हेतु पात्रता के बिन्दु सं0 6.1 के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है :–

"परिवार में स्वयं के नाम या उसके आश्रित, अवस्यक पुत्र/पुत्री, पत्नी/पति के नाम प्रदेश में आवासीय भूखण्ड या मकान न होने पर ही केवल एक ही पट्टा जारी किया जायेगा।"

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत वयस्क पुत्रों को पृथक से परिवार माना जाय और तदनुसार उनका सत्यापन करने के उपरान्त नियमानुसार उन्हें अतिरिक्त पट्टा जारी किया जा सकता है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में यदि किन्हीं पात्र परिवारों को शासनादेश दिनांक 15.01.09 की सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए पट्टा दिये जाने की स्थिति बनती है, तो ऐसी कार्यवाही शासनादेश जारी होने की तिथि से 02 माह के भीतर कर ली जाय।

4. कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। योजना के संबंध में निर्गत पूर्व के शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि–मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
6. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0।
9. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक (अनुश्रवण), आवास बन्धु को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत शासनादेश को तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ इसकी प्रतियॉ समस्त सम्बन्धित को डाक व ई–मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव